

धारा (4) (1) ख (iv)

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान/मानक

विभाग में कार्यों के निर्वहन का मुख्य आधार बिहार पशु संरक्षण एवं विकास अधिनियम, 1955/ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 एवं संबंधी नियमावली, 2001/ बिहार गोशाला अधिनियम, 1950 तथा तत्संबंधी नियमावली 1953 एवं विनियमन 1954 (संशोधित) इसके अतिरिक्त विभागीय योजनाओं/ परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के अनुसार विभागीय कार्यों का सम्पादन होता है।

